NOC

846

[illegible]

प्रेषक,

श्री [illegible],
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजूकेशन,
[illegible] मेजर [illegible] मार्ग, दरियागंज,
नई दिल्ली ।

विषय:- [illegible] प्रमाणपत्र

लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 1985.

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयालय [illegible] जनपद जिला सहारनपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्ध होने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपत्ति न होगी।-

राज्य शर्तें

1- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

2- संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य सुनिश्चित होंगे। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को राजकीयकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

3- राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के निजी विद्यालय भूतपूर्व को जो आदेश निर्गत किये जायेंगे। उनका पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा।

4- विद्यालय में अनुसूचित जाति तथा निर्धन जन कोटि का रखा जायेगा।

5- छात्र शुल्क की अनुमति है, नहीं लिया जायेगा।

6- यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का किसी भी समय उल्लंघन किया जायेगा तो मुझे अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

विशेष शर्तें

1- विद्यालय की मान्यता की पर्याप्त अधिकृत [illegible] सन् 1984 के अधीन सरकार द्वारा तथा निर्धारित मानदण्डों की समय पर [illegible] जाय।

2- विद्यालय में प्रवेश क्षमता का अनुपात में किसी [illegible] का एक साथ [illegible] ; [illegible] 4 [illegible] की व्यवस्था की जाय।

3- कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के तथा उनके [illegible] विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन विधान तथा [illegible] जाय।

4- विद्यालय का [illegible] निरीक्षण अधिकारी/[illegible] में रखा जाय।

5- [illegible] की [illegible] योजना [illegible] कर्मचारी/कर्मचारियों को दिया जाय।

भवदीय,

—

[illegible]

उप सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, [illegible], इलाहाबाद ।

2- उप निदेशक, [illegible], इलाहाबाद ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर ।

4- निदेशक, [illegible] विद्यालय, [illegible], लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, विद्यालयालय [illegible], सहारनपुर ।

Principal VAB. Pl. keep in permanent [illegible]